न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.
	धर्मपाल गौड सरकार मु.नं. 44/15
0/11/15	प्रार्थी मय वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र अ० धारा 136 L R Act के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 30/11/15 को पेश हो। [signature]
30/11/15	जवाब सरकार पेश किया आ. किया गया। अतः जवाब में स्पष्ट [illegible] नहीं होगा [illegible] किया। बहस सुनी गई। [illegible] आदेश पत्रा. दिनांक 15-12-15 को पेश हो। [signature]
15/12/16	[illegible] आदेश पत्रा. दिनांक 13-1-16 को पेश हो। [signature]
13/1/16	[illegible] उप.। प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है [illegible] [illegible] किया गया। [illegible] पत्रा. नम्बर से कम [illegible] दाखिल दफ्तर किया जावे। [signature]

Scanned by CamScanner

ायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

व वाद	दावा दायरा दिनांक	प्रार्थनापत्र	निर्णय दिनांक
/2015	10.11.2015		13.1.16

उनवान

धर्मपाल पुत्र श्री शादीराम उम्र करीब साल जाति अहीर ग्राम जहॉपुरी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

बनाम

1.राज0 सरकार जरिये भुमिधारी अधिकारी लैण्ड होल्डर तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर राज0

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136
राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
1. श्री कृष्णकुमार अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय में पेश किया कि आराजी हाल खसरा नं0 478/1–17 बीघा वाके ग्राम मुनपुर ठाकरान तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज0 के खातेदार काश्तकार पुन्नूमल पुत्र श्री संगतमल कोम राजपूत ग्राम मुनपुर ठाकरान तह0 कोटकासिम से उक्त आराजी मिन प्रार्थी ने जरिये रजि0 बयनामा दि0 29–1–1974 को पुन्नूमल से समस्त प्रतिफल की राशि अदा कर बाजाप्ता खरीद की और खरीद वक्त से ही मिन प्रार्थी अपनी उक्त खरीद शुदा आराजी पर काबिज व दखिल होकर काश्त करता चला आ रहा है । मोके पर मिन प्रार्थी का वास्ताविक कब्जा काश्त है। उक्त खरीदशुदा आराजी का इंतकाल मिन प्रार्थी ने अपने पक्ष मे दर्ज स्वीकार कराने के लिये तत्कालीन हल्का पटवारी को रजि0 बयनामा दे दिया। इसके आधार पर तत्कालीन हल्का पटवारी ने मिन प्रार्थी के पक्ष मे इंतकाल सं0 117 दर्ज कर दिया और ग्राम पंचायत खानपुर अहीर ने उक्त इंतकाल सं0 117 दि0 29–10–1980 को स्वीकार कर दिया परन्तु सहवन से राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की गलती से उक्त इंतकाल सं0 117 का अमल राजस्व रिकोर्ड जमाबंदीयात में नही आया। जिसकी जानकारी मिन प्रार्थी को दि0 6–11–15 को उस वक्त हुई जब मिन प्रार्थी उक्त आराजी की जमाबंदी नकल हल्का पटवारी से लेने गया। जानकारी से प्रार्थनापत्र अन्दर अवधि पेश है। इसलिये मिन प्रार्थी उक्त इंतकाल सं0 117 ग्राम मुनपुर ठाकरान का अमल राजस्व रिकार्ड जमाबंदीयात में करवाने का अधिकारी है। मिन प्रार्थी के हक हकूक कानुनन रक्षित हैं। इसलिये मिन प्रार्थी

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

को अपने हकूको की रक्षार्थ यह प्रार्थनापत्र पेश करना लाजिम आया है। प्रार्थनापत्र हेतु बिनायदवामी दि0 6–11–15 को पैदा हुई। जिस पर मिन प्रार्थी ने अप्रार्थी को इंतकाल सं0 117 को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अमल करने हेतु कहा तो उन्होने अदालत के आदेश लाने को कहा। जिससे बिनायदवामी व बिनायमुखासमत पैदा हुई। जिससे प्रार्थनापत्र अन्दर अवधि पेश है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी की ओर से पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर इंतकाल सं0 117 वाके ग्राम मुनपुरठाकरान का अमल राजस्व रिकार्ड जमाबंदीयात में प्रार्थी के नाम का किया जाने के आदेश अप्रार्थी सं0 1 को दिया जावे ।

प्रार्थनापत्र की नकल अप्रार्थी को दी गई।

अप्रार्थी पैरोकार सरकार की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया कि आराजी मुतदाविया में राज0सरकार का कोई हित निहित नहीं है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी के हक में इन्तकाल सं0 117 वाके मूनपुरठाकरान स्वीकार हुआ, परन्तु सहवन से राजस्व अधिकारीयो व कर्मचारियो की गलती से उक्त इंतकाल सं0 117 का अमल राजस्व रिकोर्ड जमाबंदीयात में नहीं आया। अतः निवेदन है कि आलोच्य इन्तकाल का अमल राजस्व रिकार्ड में लाया जावे।

मेरे द्वारा प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर विचार किया गया व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का इन्तकाल सं0 117 वाके ग्राम मूनपुठाकरान ग्राम पंचायत द्वारा निर्णित दिनांक 29.10.1980 को हो चुका है। जिसका राजस्व रिकार्ड में इन्द्राजात नहीं है। जो सहवन से दर्ज नहीं होना प्रतीत है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। प्रा0पत्र फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.1.16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह लिम्बा)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner